भारत सरकार

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. **4606** जिसका उत्तर

शुक्रवार, 20 मार्च, 2026/29 फाल्गुन, 1948 (शक) को दिया जाना है

पश्चिमी तट नहर विकास परियोजना

†4606. डॉ. शशि थरूर :

क्या **पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भूमि अधिग्रहण, प्रभावित परिवारों के पुनर्वास और पूरा करने की अनुमानित समय-सीमा सहित केरल में पश्चिमी तट नहर (कोवलम-अक्कुलम) अंतर्देशीय जलमार्ग संपर्क परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) उक्त परियोजना के लिए केंद्रीय अनुमोदनों को अंतिम रूप देने, विस्तृत परियोजना रिपोर्टों (डीपीआर) को मंजूरी देने और केंद्रीय निधि जारी करने में हुई देरी/बाधाओं की प्रकृति और सीमा क्या है और उक्त देरी से इस क्षेत्र में अनुमानित आर्थिक और शहरी विकास लाभों पर क्या प्रभाव पड़ा है;

(ग) भूमि अधिग्रहण विवादों और पुनर्वास संबंधी मामलों को हल करने के लिए केरल सरकार और अन्य केंद्रीय मंत्रालयों के समन्वय से सरकार द्वारा क्या विशिष्ट उपाय किए गए हैं और अब तक कितने मामले लंबित हैं तथा कितने मामलों का समाधान किया गया है; और

(घ) क्या सरकार का अनुमोदन की समय-सीमा को आसान बनाने, पुनर्वास ढांचे में सुधार करने और शहरी अवसंरचना संपर्क परियोजनाओं का समय पर कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए कोई नीतिगत या प्रक्रियात्मक सुधार लाने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री
(श्री सर्बानंद सोणोवाल)

(क): वेस्ट कोस्ट नहर (कोवलम-अक्कुलम) अंतर्देशीय जलमार्ग लिंक परियोजना, केरल में राष्ट्रीय जलमार्ग-3 के घोषित हिस्से से परे है और पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग

मंत्रालय के अधीन भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आईडब्ल्यूएआई), एक स्वायत्त संगठन के दायरे में नहीं है।

(ख) से (घ): प्रश्न नहीं उठता।
